न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला फागी

मुकदमा नम्बरः– 73/2025
निर्णय दिनांकः–30.05.2025
पीठासीन अधिकारीः–राकेश कुमार II (आर०ए०एस०)

1. सायर मल पुत्र भुवानाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम टीकेल नरूकान, तहसील फागी जिला जयपुर राज.।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार जी, तहसील फागी जिला जयपुर राज०।

अप्रार्थी

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः– श्री नैतराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत दुरस्ती इन्द्राज

निर्णय दिनांकः–30.05.2025

1. वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 222 के आराजी खसरा नं. 235 रकबा 0.0126. हैक्टेयर खसरा नं. 308 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा नं. 310/2 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा नं. 597 रकबा 0. 0506 हैक्टेयर, खसरा नं. 604 रकबा 0.0506 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.1896 हेक्टेयर व खतौनी सं. 306 का आराजी खसरा नं. 910 रकबा 11.2288 हैक्टेयर व खतौनी सं. 296 का आराजी खसरा नं. 966/716 रकबा 1.2645 हैक्टेयर व खतौनी सं. 150 का आराजी खसरा नं. 725/3 रकबा 0. 4299 हैक्टेयर व खतौनी सं. 155 के आराजी खसरा नं. 790 रकबा 2.3899 हैक्टेयर व खतौनी सं. 304 के आराजी खसरा नं. 219/1 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नं. 606/1 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा नं. 724/1 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नं 787/1 रकबा 1.3657 हैक्टेयर, खसरा नं. 921/3 रकबा 0.4426 हैक्टेयर, खसरा नं. 947/233 रकबा 0.1770 हैक्टेयर कुल किता के कुल रकबा 2.0738 हैक्टेयर व खतौनी सं. 307 के आराजी खसरा नं. 429/1 रकबा 0.5184 हैक्टेयर, खसरा नं. 767/3 रकबा 1.1760 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकवा

लगातार.....................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जिला-जयपुर

1.6944 हैक्टेयर व खतौनी सं. 162 के आराजी खसरा नं. 631 रकबा 1.0622 हैक्टेयर, खसरा नं. 633 रकबा 0.6575 हैक्टेयर, खतौनी सं. 229 के आराजी खसरा नं. 734 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खतौनी सं. 294 के आराजी खसरा नं. 718/1 रकबा 2.5922 हैक्टेयर, खतौनी सं. 305 के आराजी खसरा नं. 423 रकबा 0.2403 हैक्टेयर, आराजी खसरा नं. 424 रकबा 0.0759 हैक्टेयर, आराजी खसरा नं. 728 रकबा 0.3414 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0. 6576 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम टीकेल नरूकान, पटवार हल्का कॉसेल, भूअभि. क्षेत्र मण्डोर, तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित हैं। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा प्रार्थी अपने उक्त हिस्से के एकमात्र खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त है लगान सरकारी जमा कराते आ रहे है। उक्त आराजी प्रार्थी की पैतृकि भूमि है जो पूर्व में प्रार्थी के पिता स्व. भुवाना के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड रही तथा उनकी मृत्युपरान्त जरिये फौती नामान्तकरण प्रार्थी के नाम राजस्थ रिकार्ड में दर्ज हुई वरवक्त फौती नामान्तकरण दर्ज करते समय राज कर्मचारीयों द्वारा प्रार्थी का नाम मजमेआम में जाँच नहीं कर खाता सं. 307 में प्रार्थी का नाम सायर मल पुत्र भुवाना के स्थान पर गलत नाम सायरा पुत्र भवानाराम व उक्त आराजीयात में प्रार्थी के पिता का नाम सायर मल पुत्र भुवाना के स्थान पर सायर पुत्र भुवानाराम/भवानाराम/भवानीराम/भवाना नाम दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थी का रिकार्डेड असल नाम सायर मल पुत्र भुवाना है तथा प्रार्थी के पिता का नाम भुवाना है प्रार्थी कम पढा लिखा होने व परिवार कि जिम्मेदारीयों के कारण अपने राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज में अपने व अपने पिता के गलत नाम की जानकारी नहीं रख सका। प्रार्थी के मतदाता पहचान पत्र, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड तथा राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी खाता सं. 297 में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम सायर मल पुत्र भुवाना है जबकि सायर पुत्र भुवाना, सायरा पुत्र भुवाना, सायर मल पुत्र भुवाना व प्रार्थी के पिता का नाम सायर पुत्र भुवानाराम/भवानाराम/भवानीराम/भवाना गाँव टीकेल नरूकान में एक-एक ही व्यक्ति है इसलिए प्रार्थी का नाम खाता सं. 307 में प्रार्थी का नाम सायरा के स्थान पर सही नाम सायर मल व उक्त आराजीयात में प्रार्थी के पिता का नाम भुवानाराम/भवानाराम/भवानीराम/भवाना के स्थान पर सही नाम भुवाना राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है इसलिये प्रार्थी उक्त आराजीयात की दुरस्ती इन्द्राज करवाने का अधिकारी है। 4. यह कि प्रार्थी साक्षर व ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जिसको फौती नामान्तकरण तस्दीक करते समय राज कर्मचारीयो द्वारा सहवन से गलत नाम दर्ज करने की जानकारी प्रारम्भ से ही नहीं रही है। अभी हाल ही दिनांक 26/03/2025 को प्रार्थी अपनी आराजी पर बनें किसान कार्ड को रिनेवल

लगातार.........................3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

करवाने वास्ते बैंक में गये तो बैंक वालों ने बताया कि राजस्व रिकार्ड के खाता सं. 307 में तो तुम्हारा नाम सायर मल के स्थान पर सायरा तथा उक्त आराजीयात में प्रार्थी के पिता का नाम सायर मल पुत्र भुवाना के स्थान पर भुवानाराम / भवानाराम / भवानीराम / भवाना नाम दर्ज है नाम दुरुस्त होने पर बैंक वालों ने ऋण देने का आश्वासन दिया। प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से गलत दर्ज कर दिया है प्रार्थी उक्त गलती को दुरूस्त कराने के लिये जब अप्रार्थी के पास गया तो अप्रार्थी ने दिनांक 03.04.2025 को उक्त गलती को दुरूस्त करने से इंकार कर दिया एवं मान्य न्यायालय में कार्यवाही करने के लिये कहा इसलिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी साक्षर एवं नासमझ होने के कारण राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम गलत दर्ज कर दिया गया एवं जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है एवं दुरूस्ती के लिये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी खेतीहर व्यक्ति है जिनकी आजीविका का एकमात्र साधन उक्त आराजी ही है यदि इसे दुरूस्त नहीं किया गया तो प्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन होगा एवं प्रार्थी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा।उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी राज्य सरकार का कर्मचारी है जिसके विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व 2 माह का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है। परन्तु मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण उक्त अवधि वेव फरमाई जाकर न्यायालय की अनुमति से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी को बाद कारण दिनांक 03.04.25 को प्रतिवादी द्वारा प्रार्थी व प्रार्थी के नाम को दुरूस्त करने से इंकार करने एवं मान्य न्यायालय से आदेश लाने का कहने पर उक्त प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्दर मियाद प्रस्तुत है। पक्षकार का निवास स्थान व विवादग्रस्त आराजी श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त हैं।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिंस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 तहसीलदार फागी उपस्थित हुए तथा जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब मे निवेदन किया कि सायरमल पुत्र भुवाना, सायरमल पुत्र भुवानाराम व सायरमल पुत्र भवानीराम उक्त तीनों व्यक्ति एक ही है। अतः नाम दुरूस्त करने की अभिशंषा की है। पटवार हल्का के बिन्दुवार जवाब में बताया कि सायरमल के स्थान पर सायरा हो गया जबकि सायरमल पुत्र भुवानाराम, भवानाराम, भवानीराम, भुवाना व सायरा पुत्र भुवाना भी एक ही व्यक्ति के नाम है। जिसे शुद्ध किया जाना उचित है।

लगातार.............................4

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2074 – 2077 वाके ग्राम टीकेल नरूकान मे स्थित खाता सं0 222, 306, 296, 297, 150, 155, 304, 307, 162, 305 में प्रार्थी के पिता का नाम भिन्न – भिन्न नाम दर्ज रिकार्ड है। जबकि तहसीलदार फागी ने अपने जबाब मे सभी नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया है एवं दुरूस्त किये जाने की अभिषंशा की है। ग्राम पंचायत कांसेल ने भी अपने प्रमाण पत्र मे सायर पुत्र भुवानाराम, सायर पुत्र भवानाराम, सायर पुत्र भवानीराम, सायर पुत्र भवाना एवं सायर पुत्र भुवाना एक ही व्यक्ति होना बताया है। तहसीलदार फागी द्वारा प्रस्तुत जबाब के आधार पर हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

<u>आदेश</u>

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त खतौनी सं. 222 के आराजी खसरा नं. 235 रकबा 0.0126. हैक्टेयर खसरा नं. 308 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा नं. 310/2 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा नं. 597 रकबा 0. 0506 हैक्टेयर, खसरा नं. 604 रकबा 0.0506 हैक्टेयर कुल कित्ता 5 कुल रकबा 0.1896 हेक्टेयर व खतौनी सं. 306 का आराजी खसरा नं. 910 रकबा 11.2288 हैक्टेयर व खतौनी सं. 296 का आराजी खसरा नं. 966/716 रकबा 1.2645 हैक्टेयर व खतौनी सं. 150 का आराजी खसरा नं. 725/3 रकबा 0. 4299 हैक्टेयर व खतौनी सं. 155 के आराजी खसरा नं. 790 रकबा 2.3899 हैक्टेयर व खतौनी सं. 304 के आराजी खसरा नं. 219/1 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नं. 606/1 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा नं. 724/1 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नं 787/1 रकबा 1.3657 हैक्टेयर, खसरा नं. 921/3 रकबा 0.4426 हैक्टेयर, खसरा नं. 947/233 रकबा 0.1770 हैक्टेयर कुल किता के कुल रकबा 2.0738 हैक्टेयर व खतौनी सं. 307 के आराजी खसरा नं. 429/1 रकबा 0.5184 हैक्टेयर, खसरा नं. 767/3 रकबा 1.1760 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकवा 1. 6944 हैक्टेयर व खतौनी सं. 162 के आराजी खसरा नं. 631 रकबा 1.0622 हैक्टेयर, खसरा नं. 633 रकबा 0.6575 हैक्टेयर, खतौनी सं. 229 के आराजी

लगातार.........................5

उपखण्ड अधि...
फागी, जयपुर

खसरा नं. 734 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खतौनी सं. 294 के आराजी खसरा नं. 718/1 रकबा 2.5922 हैक्टेयर, खतौनी सं. 305 के आराजी खसरा नं. 423 रकबा 0.2403 हैक्टेयर, आराजी खसरा नं. 424 रकबा 0.0759 हैक्टेयर, आराजी खसरा नं. 728 रकबा 0.3414 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0. 6576 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम टीकेल नरूकान के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन प्रार्थी के पिता का नाम सायर पुत्र भुवानाराम, सायर पुत्र भवानाराम, सायर पुत्र भवानीराम, सायर पुत्र भवाना एवं सायर पुत्र भुवाना के स्थान पर सायरमल पुत्र भुवाना तथा खाता सं0 307 में प्रार्थी का नाम सायरा पुत्र भवानाराम के स्थान पर सायरमल पुत्र भुवाना दुरूस्त किये जा्ने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/5/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला फागी

उपखण्ड अधिकारी फागी, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला-जयपुर